भामाब/प्रपत्र/मुख्यालय/वित्त/07/2021

<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u> वित्त विभाग

विषय: प्रधानमंत्री केयर फंड का विवरण

भारतीय मानक ब्यूरों के कर्मचारी/पेंशनभोगी, जिन्होंने अपने वेतन/पेंशन से कटौती के माध्यम से पीएम केयर फंड में योगदान दिया है, वित्त विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि पीएम केयर फंड का विवरण उपलब्ध किया जाए, क्योंकि उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न में Donee का पैन नंबर और पते का विवरण दर्ज करना आवश्यक है। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

PAN of PM CARES FUND is: AAETP3993P Address: Prime Minister's Office, South Block, New Delhi- 110011

इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे अपनी आय कर रिटर्न भरते समय उपरोक्त विवरण को दर्ज करें ताकि आय कर विभाग द्वारा धारा 80 जी के तहत कटौती की अनुमति दी जा सके।

यह उप महानिदेशक (वित्त) की मंजूरी से संबंधित है।

हस्ता

(गुरप्रीत सिंह) निदेशक (वित्त)

हमारा संदर्भ :मुख्या/वित्त/1/2021-वित्त-भा°मा°ब

दिनांक: 27.08.2021

परिचालित सेवा में भा मा ब्यूरो इंटरनेट के माध्यम से :

- सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/प्रयोगशाला/प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख
- मुख्यालय के सभी विभागों के प्रमुख
- भा मा ब्यूरो के सभी अधिकारी एवम कर्मचारी
- भा मा ब्यूरो के सभी पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी

प्रतिलिपि : जानकारी के लिए -

महानिदेशक/अपर महानिदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी/सभी उप महानिदेशक

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरों के इंट्रानेटपर डालने के लिए और भारतीय मानक ब्यूरों की वेबसाइट पर पेंशनरों के पेज पर डालने के लिए

BIS/FIN/HQ/CIRCULAR(07)/2021

BUREAU OF INDIAN STANDARDS (FINANCE DEPARTMENT)

Sub: Details of PM Cares Fund

The employees/pensioners of BIS, who have contributed to the PM Cares Fund through deduction from their salary/pension, are requesting Finance Department to provide details of PM Cares Fund, as they are required to enter the PAN number and address details of the Donee in the Income Tax Return for the FY 2020-21 (AY 2021-22). The details of the same are given below:

PAN of PM CARES FUND is: AAETP3993P Address: Prime Minister's Office, South Block, New Delhi- 110011

All employees and pensioners of BIS are, therefore, requested to enter the above details in their Income Tax return while filing the same so that the deduction under section 80 G can be allowed by the Income Tax authorities.

This issues with approval of DDGF.

sd/-

(Gurpreet Singh)
Director Finance

Our Ref: HQ/FIN/01/2021/FIN/BIS

Date: 27.08.2021

Circulated through Intranet to:

- Heads of ROs/BOs/CL/NITS
- Heads of all Departments at HQ
- All Official of BIS
- All Pensioners/Family Pensioners of BIS

Copy for Information:

DG/ADG/CVO/ All DDGs

Copy to: ITSD - for uploading on BIS Intranet as well as uploading the same on Pensioners' page on BIS website